न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्याः 06/21 दायर दिनांकः 01.03.2021
जीसीएमएस नं. 2021/43

श्रीमति प्रेमवती पत्नि रामसिंह जाति जाटव नि. उहलू, तह. भुसावर हाल नि. राजेन्द्र नगर भरतपुर, जिला भरतपुर राज. (मृतक)
1/1. गोपालसिंह, 1/2. जयप्रकाश पुत्रान रामसिंह, 1/3. रामसिंह पुत्र मदनलाल जातियान जाटव नि. उहलू तह. भुसावर जिला भरतपुर, 1/4. इन्दिरा पुत्री रामसिंह पत्नि बलवीर जाति जाटव नि. प्लॉट नं. 31 जय जवान कॉलौनी जयपुर राज.

—प्रार्थीगण

वनाम

1.राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.
2.श्यामलाल पुत्र राजाराम जाति जाट नि. बाछरैन तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 133
राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता– 1.श्री छोटेलाल मीना —प्रार्थीगण
2.श्री महाराज सिंह —अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 25.07.2024

प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133,136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 601 रकबा 02 बिस्वा, 601/1 रकबा 12 बिस्वा, 601/2 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम बाछरैन तह. भुसावर में स्थित है। जिनमें प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 01 व 02 रिकॉर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है। उक्त खसरा नंबरान के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नंबरान सृजित किये है, जिसमें खसरा नंबर 601 का नया ख.नं. 887 रकबा 0.02 हैक्टे., 601/1 का नया ख.नं. 889 रकबा 0.10 हैक्टे., 601/2 का नया ख.नं. 888 रकबा 0.12 हैक्टे. बनाये गये है।

उक्त आराजी के सैकडों वर्ष पूर्व केवल एक नंबर था, जिसमें प्रार्थीया रिकॉर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी रहा है। जिसमें आ.ख.नं. 601 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम बाछरैन तह. भुसावर में स्थित था, जिसका खातेदारान के मध्य विभाजन होकर रिकॉर्ड जमाबन्दी में ख.नं. 601 रकबा 02 बिस्वा, 601/1 रकबा 10 बिस्वा, 601/2 रकबा 12 बिस्वा बनाये गये थे। जो केवल रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित किये गये तथा नक्शा ट्रेस में उपरोक्त नंबरान की कोई तरमीम नहीं हुई थी तथा संयुक्त रूप से नक्शा ट्रेस में तीनों नंबरान को संयुक्त दर्शाया हुआ था। लेकिन मौके पर उपरोक्त खसरा नंबरान में विभाजन के पश्चात से अर्थात सैकडों वर्ष पूर्व से प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का हिस्सा पूर्व से पश्चिम में तीन हिस्सों में कब्जा चला आ रहा है और प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 02 व खातेदारान के हिस्से के रकबा की अलग डौल मैड कायम हो रही है तथा उसी अनुसार मौके पर आराजी को जोतता बोता चला आ रहा है। प्रार्थीया ने अपने हिस्से में पुख्ता निर्माण व ट्यूबवैल आदि लगा रखे है।

वर्तमान नक्शा ट्रेस में भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने बिना मौका देखे ही नक्शा बनाते समय मौके के विपरीत मूल ख.नं. 601, 601/1, 601/2 के नये ख.नं. 887, 888, 889 तीन नये खसरा नंबरान बनाते हुये नक्शा में ख.नं. 888 को ख.नं. 889 की जगह दर्शित कर दिया है तथा ख.नं. 889 को ख.नं. 888 के

स्थान पर नक्शा ट्रेस में अंकित कर दिया है। यदि मौका देखकर नक्शे में तरमीम की जाती, तो यह त्रुटि नहीं होती। जो मौके के और कब्जे के कतई विपरीत है। जबकि प्रार्थी के कब्जे काश्त का रकबा ख.नं. 889 ख.नं. 888 के स्थान पर कब्जा व काश्त स्थित है और इसी प्रकार नक्शा में तरमीम होना चाहिए था। उपरोक्त नंबरान का मौके पर लगभग 50 सालों से विभाजन करते हुए कब्जा खातेदारान का चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा ख.नं. 888 की भूमि पर स्थित है। इस प्रकार वर्तमान नक्शा ट्रेस में किये गये तरमीम से प्रार्थीया के हिस्से की आराजी मौके पर हो रहे कब्जा के विपरीत है। जिससे प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। क्योंकि प्रार्थीयां की आराजी को नक्शा में गलत अंकित कर दिया है। जबकि प्रार्थीया का कब्जा और हिस्सा ख.नं. 888 की भूमि पर स्थित है। यदि वर्तमान तरमीम को शुद्ध नहीं किया गया, तो प्रार्थीया को अपरमित क्षति होगी। क्योंकि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 02 की आराजी को गलत दर्शित कर अंकित कर दिया है। जो न्याय के विरूद्ध है। नई तरमीम के अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थीया को धमकी दी है कि हम नक्शा ट्रेस में हुई अशुद्ध नई तरमीम के आधार पर कब्जा करके तुझे कीमती जमीन से बेदखल व महरूम कर देंगें। जब प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार, भुसावर के पास तरमीम को शुद्ध कराने के लिए गया, तो अप्रार्थी संख्या 01 ने भी गलत हुई तरमीम को शुद्ध करने से साफ इंकार कर दिया। इसलिए प्रार्थीया के पास न्यायालय की शरण लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। इसलिए प्रार्थीया प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजिमी हुआ है। क्योंकि उक्त वादग्रस्त आराजी मेंतरमीम अंकित की गई है। जिसे कब्जे के आधार पर शुद्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि आ.ख.नं. 889 को ख.नं. 888 के स्थान पर मौके व कब्जा के अनुसार नक्शा ट्रेस में अंकित किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 जा.दी. पेश किया जो स्वीकार किया गया। संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से एड. श्री महाराज सिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा तहसीलदार, भुसावर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी संख्या 02 का जवाब प्राप्त नहीं होने पर जवाब बन्द किया गया तथा बहस एक पक्षीय सुनी गई।

हमने बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। पत्रावली एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम बाछरैन तह. भुसावर की आ.ख.नं. 889 को खसरा नंबर 888 के स्थान पर मौके व कब्जा के अुनसार नक्शा ट्रेस में अंकित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)